

न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच।

फौजदारी अपील संख्या-23/2022

ओमकार बनाम श्रीमती मायारानी उर्फ पूजा आदि

दिनांक-02-06-2026

पत्रावली पेश हुई।

बार-बार पुकार कराई गयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। आदेश पत्रक के अवलोकन से विदित होता है कि पूर्व में भी कई तिथियों से पक्षकार उपस्थित नहीं आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा मुकदमें में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण उक्त फौजदारी अपील खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

फौजदारी अपील संख्या-23/2022 ओमकार बनाम श्रीमती मायारानी उर्फ पूजा आदि उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बहराइच।